FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई | मुकाम अराई (अजमेर)

- गणेश पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, उम्र बालिग निवासी ग्राम झीरोता तहसील अरांई जिला अजमेर राज. । —प्रार्थी

बनाम

- नारायण पुत्र सुण्डा, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। —अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1956

दर्ज क्रमांक 78 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / ....

वकील प्रार्थी :— योगेश शर्मा | वकील अप्रार्थीगण..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/7/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 20/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
20/9/2024	पत्रावली पेश हो। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगणों के सम्मन अप्राप्त। वास्ते तामिल इन्तजार पत्रावली दिनांक 08/11/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	
08/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। ...तलबी.....हेतु समय चाहा। पत्रावली ...तलबी.....हेतु वास्ते.......... दिनांक 20/12/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई	

५. पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप०। पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]

यालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2024 उनवान गणेश वगै0 बनाम नारायण वगै0::

1. गणेश पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, उम्र लगभग बालिए वर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. छगनलाल पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, उम्र लगभग बालिशवर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. भारमल पुत्र सूरजकरण जाति जाट, उम्र लगभग वाणि वर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. भोलूराम पुत्र सूरजकरण जाति जाट, उम्र लगभग बालिग वर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. मदन पुत्र सूरजकरण जाति जाट, उम्र लगभग बालि वर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. राजेन्द्र पुत्र पुखराज जाति जाट, उम्र लगभग बालिग वर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. रामधन पुत्र सूरजकरण जाति जाट, उम्र लगभगलियवर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. शंकर लाल पुत्र पुखराज जाति जाट, उम्र लगभग बालिग वर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
9. सुवा पत्नि स्व. पुखराज जाति जाट, उम्र लगभग बालिग वर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

— प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र सुण्डा, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. लादी पत्नि काना, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. बन्ना पुत्र सुण्डा, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. राधामोहन पुत्र सुण्डा, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. लादी पत्नि श्रवण, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. पोलू पुत्र श्रवण, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. रामप्रसाद पुत्र श्रवण, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. रामस्वरूप पुत्र श्रवण, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
9. गोविन्द पुत्र श्रवण, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
10. मल्लू पुत्री श्रवण, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
11. रामेश्वरी पुत्री श्रवण, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
12. गीता पुत्री माधू, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
13. गोपाली पत्नि भोलू जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
14. फोरन्ता पुत्री भोलू जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
15. भैरू पुत्र माधु जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
16. शैतान सिह पुत्र भोलू जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
17. सीता देवी पुत्री माधु जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
18. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 18/7/2025

1. प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 18.7.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 78/2024 पर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम झीरोता, पटवार हल्का ... संख्या 301 नया, 109

पुराना खसरा नं0 105 रकबा 0.1294 हे0, खसरा नं0 35 रकबा 1.3753 है0, खसरा नं0 38 रकबा 1.0517 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.5564 है0 है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर सहखातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहें है, तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। यह है कि प्रार्थी संख्या 07 ग्राम झीरोता स्थित खसरा संख्या 36 क्षेत्रफल 0.4530 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 36 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 35 के उत्तर दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ग्राम झीरोता स्थित खसरा संख्या 34 क्षेत्रफल 1.4158 हैक्टेयर काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 28 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 35 के पश्चिम दिशा में स्थित है। उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 28 के खातेदार श्रवण पुत्र रामचन्द्र है जिनके देहावसान पश्चात उक्त भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 11 उनके विधिक वारिसान् होनें से पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है। तथा अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 17 ग्राम झीरोता स्थित खसरा संख्या 26 क्षेत्रफल 1.2944 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 26 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 35 के दक्षिण दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 18 ग्राम झीरोता स्थित खसरा संख्या 85 क्षेत्रफल 1.4562 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, जो गै. मु. रास्ता होकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 के मध्य उपरोक्त भूमि का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 17 के मध्य सीमा विवाद होने के कारण आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भमि पर विवाद उत्पन्न करते है । जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की वाके ग्राम झीरोता, पटवार हल्का झीरोता, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान जिसके खाता संख्या 301 नया, 109 पुराना खसरा नं0 105 रकबा 0.1294 हे0, खसरा नं0 35 रकबा 1.3753 है0, खसरा नं0 38 रकबा 1.0517 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.5564 है0 की सीमाओं का भोतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

2. दिनाकं 28.3.2025 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण 01 लगायत 17 की और से कोई उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्या 1लगायत 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने द्वारा समय पर जवाब पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. दिनांक 20.6.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम झीरोता, पटवार हल्का झीरोता, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान जिसके खाता संख्या 301 नया, 109 पुराना खसरा नं0 105 रकबा 0.1294 हे0, खसरा नं0 35 रकबा 1.3753 है0, खसरा नं0 38 रकबा 1.0517 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.5564 है0 है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 17 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की

भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीकी श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम झीरोता, पटवार हल्का झीरोता, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान जिसके खाता संख्या 301 नया, 109 पुराना खसरा नं0 105 रकबा 0.1294 हे0, खसरा नं0 35 रकबा 1.3753 है0, खसरा नं0 38 रकबा 1.0517 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.5564 है0 का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम झीरोता, पटवार हल्का झीरोता, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान जिसके खाता संख्या 301 नया, 109 पुराना खसरा नं0 105 रकबा 0.1294 हे0, खसरा नं0 35 रकबा 1.3753 है0, खसरा नं0 38 रकबा 1.0517 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.5564 है0 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

{निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)